नकल धायाप्ती आदेश दिनांक 26.9.11

५४

न्यायालय उपजिलाधिकारी, रामसनेहीघाट, बाराबंकी

वाद संख्या– 23

धारा 143 ज0वि0अधि0
ग्राम–कोटवा सड़क
पर0–सूर्यपुर
तहसील–रामसनेहीघाट,
जिला–बाराबंकी

जानकी प्रसाद वर्मा मेमोरियल महिला विद्यालय
कोटवा सड़क द्वारा चन्द्रशेखर बनाम सरकार

आदेश

प्रार्थी जानकी प्रसाद वर्मा मेमोरियल महिला महाविद्यालय कोटवा सड़क द्वारा प्रबन्धक चन्द्रशेखर वर्मा पुत्र दुर्गाप्रसाद निवासी ग्राम कोटवा सड़क परगना सूर्यपुर तह0 रामसनेहीघाट जिला बाराबंकी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0 प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि प्रार्थी गाटा संख्या 21, 22, 25, 78, 24 स्थित ग्राम कोटवा सड़क पर0 सूर्यपुर का दर्ज संक्रमणीय भूमिधर है। प्रश्नगत गाटाओं पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है बल्कि उक्त गाटाओं पर विद्यालय/आबादी के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। उक्त गाटाओं को अकृषिक घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार रामसनेहीघाट से कराई गई। तहसीलदार रामसनेहीघाट द्वारा प्रार्थना पत्र की जाँच करके अपनी जाँच आख्या दिनांक 21–9–11 न्यायालय पर प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया गया है कि भूखण्ड संख्या 21/0.083 हे0, 78/0.341 हे0, 22/0.097 हे0, 25/0.077 हे0, 24/0.241 हे0 भू राजस्व 37 के संक्रमणीय भूमिधर जानकी प्रसाद वर्मा मेमोरियल महिला महाविद्यालय कोटवा सड़क द्वारा प्रबन्धक चन्द्रशेखर वर्मा संक्रमणीय भूमिधर हैं। प्रश्नगत गाटा आपस में मिले हैं। उक्त गाटाओं का उपयोग महाविद्यालय के उपयोगरत हैं। इन भूखण्डों पर कृष्येत्तर कार्य, यथा कृषि बागवानी, वृक्षारोपण, मत्स्य पालन अथवा कुक्कुट पालन आदि संपादित नहीं हो रहे हैं। उक्त भूखण्डों को धारा 143 ज0वि0अधि0 अन्तर्गत अकृषिक प्राख्यापित किये जाने की संस्तुति की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार रामसनेहीघाट की आख्या दिनांक 21–9–2011 सहित सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया तत्पश्चात पाया गया कि प्रश्नगत गाटाओं पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि महाविद्यालय कार्य में प्रयुक्त किया जा रहा है। अतः गाटाओं को उ0प्र0 ज0वि0अधिनियम की धारा 143 के तहत अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

58

अतः ग्राम कोटवा सड़क परगना सूर्यपुर तहसील रामसनेहीघाट जिला बाराबंकी की खतौनी वर्ष 1418–1423 फ0 की खाता सं0 89 पर अंकित गाटा 21/0.083 हे0, 78/0.341 हे0, 22/0.097 हे0, 25/0.077 हे0, 24/0.241 हे0 को उ0प्र0 ज0वि0अधिनियम की धारा 143 के तहत अकृषिक घोषित किया जाता है। तदनुसार अभिलेखों में अंकन हो आदेश की प्रति उपनिबन्धक रामसनेहीघाट को प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

नकल जारी।
26/9/11

26-9-11
उपजिलाधिकारी
रा0स0घाट, बाराबंकी

RG-(1)
Page N-62
S.N.-26
26/09/11

Recd
26-9-2011
जय प्रकाश

सत्य प्रतिलिपि
02-04-19
राजस्व अभिलेखागार
कलेक्ट्रेट–बाराबंकी

जय प्रकाश
प्रतिलिपिक
राजस्व अभिलेखागार
कलेक्ट्रेट, बाराबंकी